सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/DEV-7132/JH/287/2026-RU-IV दिनांक : 19.06.2026

सेवा मे,

उपायुक्त,
जिला-गुमला,
उपायुक्त का कार्यालय,
समाहरणालय भवन,
गुमला, झारखंड 835207
ई-मेल: dc-gum@nic.in

विषय: **याचिकाकर्ता की ज़मीन पर बिजली के खंभे लगाने और बिजली के तार ऊपर से गुजारने के संबंध में शिकायत - श्री संत प्रकाश भगत, ज़िला-गुमला (झारखंड) की 30.03.2025 की ऑनलाइन शिकायत।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 05.06.2026 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई र्रवाई की रिपोर्टका 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

19.6.26

(प्रवीण कुमार सिंह / Praveen Kumar Singh)
अवर सचिव / Under Secretary
E.mail ID: ru4-hq@ncst.nic.in
Ph. No. 011-24645826

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ</u>-:
श्री संत प्रकाश भगत,
ग्राम - चुगलू, पी ओ - सकरपुर गम्हरिया,
पी एस-गुमला. जिला-गुमला,
झारखण्ड - 835233
bhagat.chuglu71@gmail.com
मोबाइल नंबर: 8494944066

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

NCST/DEV-7132/JH/287/2026-RU-IV

अभ्यावेदक श्री संत प्रकाश भगत, जिला-गुमला (झारखंड) द्वारा भूमि पर बिना सहमति विद्युत खंभे स्थापित किए जाने एवं विद्युत तार ले जाए जाने संबंधी शिकायत के प्रकरण में दिनांक 05.06.2026 को सर्किट हाउस, गुमला (झारखंड) में आयोग के समक्ष आयोजित सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग की दिनांक: 05.06.2026

सिटिंग का स्थान :- सर्किट हाउस गुमला, झारखण्ड

सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी: अनुलग्नक-I के अनुसार

अभ्यावेदक श्री संत प्रकाश भगत, जिला-गुमला (झारखंड) ने अपनी ऑनलाइन शिकायत दिनांक 30.03.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि वे ग्राम दौद नगर, पुग्गू, जिला-गुमला, झारखंड स्थित खाता संख्या-07, प्लॉट संख्या-2551, रकबा 0.15 एकड़ भूमि के विधिवत दर्ज रैयत एवं स्वामी हैं। अभ्यावेदक का आरोप है कि झारखंड विद्युत विभाग द्वारा उनकी उक्त भूमि पर उनकी सहमति प्राप्त किए बिना दो विद्युत खंभे स्थापित कर दिए गए तथा भूमि के ऊपर से विद्युत तार भी खींच दिए गए हैं। अभ्यावेदक के अनुसार विद्युत खंभों एवं तारों की उपस्थिति के कारण वे अपनी भूमि पर प्रस्तावित आवासीय भवन का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। अभ्यावेदक ने यह भी बताया कि उन्होंने इस संबंध में सीपीग्राम्स (CPGRAMS) पोर्टल पर पंजीकरण संख्या GOVJH/E/2025/0001409 दिनांक 30.03.2025 के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी। तथापि, संबंधित अधिकारियों द्वारा शिकायत का वास्तविक समाधान किए बिना "Work in Process" (कार्य प्रगति पर है) टिप्पणी अंकित करते हुए शिकायत का निस्तारण कर दिया गया। अभ्यावेदक ने आयोग से अनुरोध किया है कि मामले में हस्तक्षेप करते हुए संबंधित अधिकारियों को उनकी भूमि से विद्युत खंभों एवं ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइनों को हटाने/स्थानांतरित करने अथवा विधि अनुसार उपयुक्त राहत प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जाए।

2. प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 16.03.2026 को उपायुक्त, गुमला (झारखंड) को नोटिस निर्गत कर 15 दिनों के भीतर तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

3. मामले की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा उपायुक्त, गुमला (झारखंड) को माननीय सदस्या डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 05.06.2026 को गुमला, झारखंड में निर्धारित सुनवाई में आयोग के समक्ष उपस्थित होने हेतु सिटिंग नोटिस जारी किया गया है।

4. सुनवाई में उपायुक्त, गुमला व् अभ्यावेदकगण उपस्थित रहे

आशा लकड़ा

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free : 1800117777; Website: www.ncst.gov.in

5. सुनवाई के दौरान उपायुक्त, गुमला तथा अन्य उपस्थित अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 30.03.2025 को पी.जी. पोर्टल पर पंजीकरण संख्या GOVJH/E/2025/0001409 के माध्यम से श्री सत्यप्रकाश भगत, पिता- स्वर्गीय धरमदास भगत, ग्राम- दाऊद नगर, पुग्गु, जिला- गुमला द्वारा विद्युत पोल एवं तार हटाने संबंधी शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस संबंध में विद्युत पोल एवं तार के स्थानांतरण/हटाने हेतु प्राक्कलन संख्या EEE/GUMLA/Deposit/121/2025-26, पत्रांक-140 दिनांक 09.02.2026 के माध्यम से मूल प्रति सहित निबंधित डाक द्वारा शिकायतकर्ता को प्रेषित कर दी गई थी। साथ ही शिकायतकर्ता से अनुरोध किया गया था कि प्राक्कलित राशि संबंधित कार्यालय में जमा कराएं, जिससे नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सके।

अधिकारियों द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा उक्त प्राक्कलित राशि अब तक जमा नहीं की गई है, जिसके कारण पोल एवं तार हटाने/स्थानांतरित करने की कार्रवाई नहीं की जा सकी है। उन्होंने यह भी बताया कि संबंधित विद्युत लाइन वर्ष 2010 में शासन के निर्देशानुसार स्थापित की गई थी तथा उस समय उक्त भूमि पर कोई निर्माण नहीं था। अतः वर्तमान में विद्युत पोल एवं तारों के स्थानांतरण की प्रक्रिया विभागीय नियमों के अनुसार निर्धारित प्राक्कलित राशि जमा किए जाने के उपरांत ही संपादित की जा सकती है।

इस पर अभ्यावेदक ने आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए बताया कि वह अपनी निजी भूमि पर आवासीय भवन का निर्माण करना चाहता है, किंतु भूमि के ऊपर से विद्युत तार गुजरने के कारण निर्माण कार्य नहीं कर पा रहा है। अभ्यावेदक ने यह भी कहा कि विभाग द्वारा पोल एवं तार हटाने हेतु मांगी गई प्राक्कलित राशि अत्यधिक है, जिसका वह वहन करने में असमर्थ है। अतः उसने आयोग से न्यायोचित हस्तक्षेप कर उचित राहत प्रदान करने का अनुरोध किया।

6. मामले की सुनवाई के पश्चात आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंषा की जाती है

I. उपायुक्त, गुमला तथा कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, गुमला संयुक्त रूप से अभ्यावेदक के प्रकरण की पुनः समीक्षा करें तथा विद्युत पोल एवं तारों के स्थानांतरण/हटाने के संबंध में उपलब्ध विधिक एवं प्रशासनिक प्रावधानों के अंतर्गत यथासंभव समाधान खोजने का प्रयास करें।

II. अभ्यावेदक द्वारा उठाई गई इस आपत्ति कि विभाग द्वारा निर्धारित प्राक्कलित राशि अत्यधिक है, का परीक्षण किया जाए तथा यदि नियमों के अंतर्गत कोई राहत, छूट अथवा वैकल्पिक व्यवस्था संभव हो तो उस पर विचार किया जाए।

III. संबंधित अधिकारी अभ्यावेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए मामले का यथोचित निस्तारण सुनिश्चित करें तथा की गई कार्रवाई से आयोग को 30 दिवस के भीतर अवगत कराएं।

आशा लकड़ा
12/06/2026

(डॉ. आशा लकड़ा)

सदस्या

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi